NDOH: 02.04.2026

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 80/2025

IN THE MATTER OF:
Basanti Devi & Ors. ....Applicant
Versus
PWD Bhatwair, Uttarkashi, Uttarakhand & Ors ......Respondent(s)

INDEX

Sl.No.	PARTICULARS	Page NO.
1	REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 1 (PWD)	**1-7**
2	**Annexure No. 1** The construction of the boundary wall is in progress Restoration Plan	**8-27**
3	**Annexure No. 2** Photographs of the work done	**28-32**
4	**Annexure No. 3** Copy of the report	**33-35**
5	**Annexure No. 4** Copy of the bill	**36-39**
6	**Annexure No. 5** Copy of the proof of payment to Applicant	**40-42**
7	Proof of Service	**43-44**

FILED ON: 28.03.2026

FILED BY:

(DHRUV TAMTA)
Advocate for the Respondents
Chamber No. 331, M.C. Setalvad Bock Supreme Court of India,
Bhagwan Das Road, New Delhi
Mo. 9899989917 Email - tamtaadvocates@outlook.com

₹10
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT2740304C2609L
27-MAR-2026

2026
AFFIDAVIT
18245
DISTRICT COURT
UTTARAKHAND
₹1/-
28/3/26

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 80/2025

IN THE MATTER OF:

Basanti Devi & Ors.

.............Applicants

Versus

PWD, Bhatwari, Uttarkashi, Uttarakhand & Ors

.............Respondent(s)

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENTS

I, Ranjeet Singh S/o Late Shri Manohar Singh aged about 54 years Office At Chief Engineer Level-II, Zonal Office, PWD, Dehradun, do hereby solemnly affirm and state as under.

1. That I am working as Zonal Chief Engineer, PWD, Dehradun, in the above noted matter and as such am well conversant with the facts and records of the case and hence competent to swear this affidavit.

2. That vide order dated 19.12.2025, this Tribunal was pleased to pass the following order:

> *5. Having regard to the report of the joint Committee, we are of the view that the Applicant is required to be appropriately compensated for the loss suffered by him and simultaneously action is also required to be taken against those who have committed such an illegality which resulted into loss to the Applicant.*
>
> *6. The Applicant has pointed out that there was an injunction decree of Civil Court dated 15.01.2021 (page 12) in his favor wherein the State of Uttarakhand was also a party yet violating the said decree the action against the Applicant has been taken by the Respondents.*
>
> *7. In such circumstances, we direct the Respondent No. 3-Chief Secretary, Government of Uttarakhand to look into the entire issue and take into the account the report of the joint committee and ensure appropriate compensation is determined and paid to the Applicant and action is taken against the concerned Officers who had cause damage to the orchards/land of the Applicant.*

OATH COMMISSIONER

8. Let this exercise be completed by the Respondent No. 3 within a period of two months and action taken report be submitted before the Tribunal.

3. That when the matter came up for consideration on 9.3.2026 this Tribunal was pleased to pass the following order:

4. No reply on behalf of the Chief Secretary, State of Uttarakhand in compliance of the previous order has been filed till now. Hence, we require the respondent no.3- Chief Secretary, Government of Uttarakhand, either to appear virtually himself or through some higher officer of the State on the next date of hearing and apprise the Tribunal about the action taken in pursuance to the order dated 19.12.2205.

5. We expect that the State will take a sympathetic view in the matter and will duly consider the grievance of the applicant, who has suffered the loss and take action to suitably compensate him.

OATH COMMISSIONER DEHRADUN

4. That pursuant to the above directions, action was taken in a timely manner for compliance and the Action taken report is submitted.

5. It is submitted that The Hon'ble Prime Minister of India had proposed Uttarakhand Winter Tourism Programme in Village Mukhwa and Harshil in Bhatwari development block of Uttarkashi district on 27.02.2025 for the winter stay of Mother Ganga, which was completed on 06.03.2025 in view of bad weather at that time. As per the said Programme, instructions were received from the District Magistrate Uttarkashi through Office Order No. 33/CP U-DM/2025, dated 27.01.2025 to make all the desired flawless preparations/arrangements as per the dignity of Hon'ble Prime Minister. By the said order, PWD was ordered to construct a parking in Village Mukhwa. There was a dead end in village Mukhwa at the end of Harshil-Mukhwa motor road, where the work of widening the narrow space for turning the vehicles and being of urgent nature in view of the security of Hon'ble Prime Minister was done promptly by PWD, as a result of which the parking was constructed by cutting Khasra No. 1435, 1436, 1437 and 1438 of farmer Basanti Devi.

OATH COMMISSIONER

28/8/26

6. Upon examining the records, the Joint Committee constituted by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, found that 19 trees of various species were felled in Basanti Devi's Khasra Nos. 1435, 1436, 1437 and 1438. As per the Committee's suggestion, the affected land has been cleared.

7. The restoration work should be done by demolishing the existing parking lot, removing concrete debris and filling material and restoring the original condition of the land. The orchard should be replanted with apple trees of suitable species under the technical guidance of the Horticulture Department.

8. In compliance with the restoration plan, the PWD has demolished the parking lot, built a wall around the petitioner's cultivable land, and leveled the field by filling it with soil. The construction of the boundary wall is in progress (Restoration Plan Annexure-1).

9. After the work is completed within one month, the restoration work of the apple trees will be done under the technical guidance of the Horticulture Department. (Photographs of the work done Annexure-2)

10. As per the decision given by the Hon'ble Tribunal, on the basis of the report received from the Horticulture Department for the loss suffered by the petitioner, the payment of Rs. 2,64,016.00 has been sent to the bank account of the petitioner through online medium, as per the top variety of apple through Sub-Treasurer, Bhatwari on 24.03.2026 (Copy of report and bill are Annexed as Annexure-3&4).

11. That the Execution Case no. 03/2025, Basanti Devi vs. Executive Engineer, PWD and others, is pending in the District Court, Uttarkashi.

12. Thus in compliance with the order of the Hon'ble National Green Tribunal, the petitioner, Mrs. Basanti Devi, has been paid Rs. 2,64,016.00 as recommended by the Joint Committee. (Copy of proof of payments Annexed as Annexure-5).

13. That in accordance with the restoration plan, the PWD has demolished the parking lot, erected a wall around the petitioner's cultivable land, and leveled the field by

filling it with soil. Construction of the boundary wall is in progress. Upon completion within one month, the apple trees will be replanted under the technical guidance of the Horticulture Department.

14. It is submitted that the parking lot in Mukhwa was constructed in response to the state's needs and urgency, therefore no departmental officer is at fault.

15. In view of the above stated facts, it is prayed that the appearance of Chief Secretary, Government of Uttarakhand may be dispensed with and he may be exempted from appearance.

DEPONENT

VERIFICATION:

I hereby verify that the contents of my above affidavit are true and correct to my knowledge, belief and information derived from the records of this case. No part of it is false and nothing relevant has been concealed therein.

Verified at Dehradun on this 28th of March, 2026.

Signed, Sworn & Verified before me
by Shri/Smt. Dr. Ranjeet Singh
who is identified by Shri Dhruv Tripathi

PARAS
Oath Commissioner
Dehradun
28/3/26

DEPONENT

Restoration Plan

for

Apple Orchard

at

Village Mukhwa, District Uttarkashi

(Uttarakhand)

INDEX

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	Title Page	1
2.	Index	2
3.	Report	3
4.	Reference Letter	4-16
5.	A- Cost Estimation of Construction of protection wall, Boundary wall, Access path to orchard and Filling of Earth	17-18
6.	B- Cost Estimation of Re-plantation of 19 Apple trees	19
7.	Abstract of Cost	20

OATH COMMISSIONER DEHRADUN

Report

Hon'ble National Green Tribunal vide it's interim order dated 19.09.2025 in the OA No. 80/2025, Basanti Devi and Others V/s State of Uttarakhand through District Magistrate and others. made a committee for inspection of the subject parking and orchard in Mukhwa village of district Uttarkashi (Uttarakhand) to assess the damage done to the orchard. The committee visited the site on 01.11.2025, thoroughly inspected the Parking and orchard and directed to make a restoration plan for the orchard. In compliance to the above the restoration plan is made in which following work will be done by PWD Bhatwari in the direction of Chief Horticulture officer Uttarkashi.

- Construction of protection wall.
- Construction of Boundary wall.
- Construction of Access path to orchard.
- Filling of Earth.
- Re-plantation of 19 apple trees (as Suggested by the committee).

The rates for construction work is taken from central SOR (Schedule of rates dated 24.08.2024) of PWD Uttarakhand currently applicable in this area while for plantation work the rates are as per sanctioned rate vide Government order no. 1/156716/XII-3/23/10(10)/2023 dated 25.09.2023 of Horticulture department of Uttarakhand.

Hence the Restoration Plan for the cost of Rs. **8,03,114.00** is presented for further directions.

28/11/2025
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक– 1601 /12–1, कोटबंगला, दिनांक 14/10/2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण, विभाग,
भटवाडी।

विषय :– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन मूल आवेदन सं0–80/2025, शीर्षक बसन्ती देवी बनाम जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक– 1909.2025 के अनुसार गठित संयुक्त कमेटी के संबंध में।

सन्दर्भ :– दिनांक– 01.11.2025 को श्रीमती नीलिमा शाह (भा.व.से.), सहायक वन महानिरीक्षक (के0) की अध्यक्षता में प्रश्नगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक– 01.11.2025 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट आपके अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है। (प्रति संलग्न)

उक्त संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में संयुक्त कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी द्वारा पार्किंग को ध्वस्त कर भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने तथा पुनः सेब का बगीचा स्थापित करने हेतु मुख्य उद्यान अधिकारी के निर्देशन में पुर्नस्थापना योजना (वित्तीय विवरण के साथ) बनाकर एक सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संयुक्त टीम द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य उद्यान अधिकारी के निर्देशन में पुर्नस्थापना योजना (वित्तीय विवरण के साथ) 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आपके द्वारा तैयार की गई पुर्नस्थापना योजना को संयुक्त टीम के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। कृपया इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने का कष्ट करें। इसमें आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

OATH COMMISSIONER * DEHRADUN *

मुख्य उद्यान अधिकारी उत्तरकाशी।
☎🖷 - 01374-222143 Email-dhouki2@gmail.com

पत्रांक– 1639/विविध/2025–26 दिनांक: 22 नवम्बर 2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
भटवाड़ी।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन मूल आवेदन सं0–80/2025, शीर्षक बसन्ती देवी बनाम जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–1909.2025 के अनुसार गठित संयुक्त कमेटी के संबध में।

सन्दर्भः– दिनांक– 01.11.2025 को श्रीमती नीलिमा शाह (भा.व.से.), सहायक वन महानिरीक्षक (के0) की अध्यक्षता में प्रश्नगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपसे दूरभाष पर हुयी वार्ता के क्रम में पुनः सेब का बगीचा स्थापित करने हेतु पुर्नस्थापना योजना (वित्तीय विवरण) के संबध में संयुक्त निरीक्षण आख्या निष्कर्ष के बिन्दु 02 में उल्लेखित किया गया है कि **" प्रश्नगत स्थल में क्षतिग्रस्त वृक्षों का वास्तविक आकलन/सत्यापन संभव नही था, अतः उद्यान विभाग के मानकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा की गयी गणना को (19 वृक्ष) स्वीकार किया जा सकता है"**। उक्त निष्कर्ष के क्रम में सीडलिंग आधारित सेब के सघन बागानों की स्थापना हेतु मानकानुसार कार्य किया जाना उचित प्रतीत होता है। सुलभ सन्दर्भ हेतु कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 1/156716/XII-3/23/10(10)/2023 दिनांक 25 सितम्बर 2023 में सेब की अति सघन बागवानी योजना (राज्य सेक्टर) के मानक/विशिष्टियां/दरे एवं शर्ते संलग्न कर प्रेषित है। **(शासनादेश संलग्न)**

अतः उक्त शासनादेश के बिन्दु "ग" में सीडलिंग आधारित सेब के सघन बागानों की स्थापना हेतु मानकानुसार लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0रजनीश सिंह)
मुख्य उद्यान अधिकारी,
उत्तरकाशी।

पत्रांक– /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
उत्तरकाशी।

OATH COMMISSIONER * DEHRADUN *

संख्या-1/156716 /XIII-3/23/10(10)/2023

प्रेषक,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक 25 सितम्बर, 2023

विषय: सेब की अति सघन बागवानी योजना (राज्य सेक्टर) के मानक/विशिष्टियां/दरें एवं शर्ते निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1194/सेब नीति/2023-24, दिनांक 18.08.2023 के सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मिशन एप्पल योजना हेतु मानक सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-I/89243/2023/18(09)/2021, दिनांक 06.01.2023 को अवक्रमित करते हुये सेब की अति सघन बागवानी योजना (राज्य सेक्टर) हेतु M-9, MM-111, सीडलिंग आधारित सघन उद्यान स्थापित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सशक्त टीम एवं वैज्ञानिकों द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार निम्नलिखित मानक/ विशिष्टियां/दरें एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- <u>योजनान्तर्गत लक्ष्य व देय राजसहायता का विवरण:</u>- नवीन योजना के अन्तर्गत कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान पर नवीनतम प्रजातियों की सेब की अति सघन बागान रूट स्टाक: एम0-9, एम0एम0-111, सीडलिंग एवं अन्य क्लोनल रूटस्टॉक आधारित बागान स्थापित किये जायेंगे।

2- <u>बागान स्थापना हेतु प्रस्तावित लागत:</u>- प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत सेब की अति सघन बागवानी हेतु एम-9 आधारित अति सघन उद्यान (कुल पौधों की संख्या-900 प्रति एकड़ (पौधो की दूरी 2.25 मी0 X2 मी0) जिसकी कुल लागत रू0 12,36,500/- प्रति एकड़ है। एमएम-111 आधारित अति सघन उद्यान (कुल पौधों की संख्या-540 प्रति एकड (पौधो की दूरी 3 मी0 X 2.5 मी0) जिसकी कुल लागत रू0 7,86,000/- प्रति एकड़ तथा सीडलिंग आधारित सघन उद्यान (कुल पौधों की संख्या-440 प्रति एकड़ (पौधो की दूरी 3 मी0 X 3 मी0) जिसकी कुल लागत रू0 3,34,000/- प्रति एकड़ होगी, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है:-

क:- एम-9 क्लोनल रूट स्टाक आधारित सेब के अति सघन बागानों की स्थापना हेतु मानक:-

क्र. सं.	कार्य विवरण	लागत प्रति एकड (रू0 में)
1	Land Preparation/development	40,000
2	Pit Digging & filling (2x2x2 ft.)	60,000
3	Cost of Planting Material (@Rs 300 per plant) (Total Plants-900) (Spacing 2.25mX2.00 m) (3-5 feathers)	2,70,000

...Office by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-3-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 25/09/2...

OATH COMMISSIONER DEHRADUN

4	Compost and water soluble Fertilizers (20:20:20)	45,000
5	Plant Protection Chemicals	5,000
6	Trellis with Installation	3,52,000
7	Micro-irrigation with Installation	47,500
8	Anti-Hail Net with Installation	1,80,000
9	Mulching Mat 100 GSM	45,000
10	Angle iron supported barbed wire fencing with 5 wire horizontal, 2 wire diagonally, angel iron 7 ft in height, 5.5 ft above ground and 1.5 ft below ground	1,92,000
	Total Cost	12,36,500

ख:—एमएम—111 क्लोनल रूट स्टाक आधारित सेब के अति सघन बागानों की स्थापना हेतु मानक:—

क्र.सं.	कार्य विवरण	लागत प्रति एकड (रू0 में)
1	Land Preparation/development	40,000
2	Pit Digging and filling (2.5x2.5x2.5 ft.)	35,000
3	Cost of Planting Material (@Rs 300 per plant) (Plants- 540) (3.00mX2.50m) (3-5 feathers)	1,62,000
4	Compost and water soluble Fertilizers (20:20:20)	7,000
5	Plant Protection Chemicals	5,000
6	Micro-irrigation with Installation	30,000
7	Anti-Hail Net and GI Poles with Installation	27,0000
8	Mulching Mat 100 GSM	45,000
9	Angle iron supported barbed wire fencing with 5 wire horizontal, 2 wire diagonally, angel iron 7 ft in height, 5.5 ft above ground and 1.5 ft below ground	1,92,000
	Total Cost	7,86,000

ग:— सीडलिंग आधारित सेब के सघन बागानों की स्थापना हेतु मानक:—

क्र.सं.	कार्य विवरण	लागत प्रति एकड़ (रू0 में)
1	Land Preparation	10,000
2	Pit Digging and filling (3x3x3 ft.)	30,000
3	Cost of Planting Material (@Rs 150 per plant) (Plants-440) (Spacing 3mX3m) (3-5 feathers)	66,000
4	Compost and Fertilizers	4,000
5	Plant Protection Chemicals	2,000
6	Micro-irrigation with Installation	30,000
7	Angle iron supported barbed wire fencing with 5 wire horizontal, 2 wire diagonally, angel iron 7 ft in height, 5.5 ft above ground and 1.5 ft below ground	1,92,000
	Total Cost	3,34,000

3— <u>भौतिक लक्ष्य</u>— योजनान्तर्गत 08 वर्षों में 5000 है0 में सेब के अति सघन एवं सीडलिंग आधारित बागान स्थापित किये जायेंगे।

4— <u>अनुदान</u>— राज्य सरकार द्वारा कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

5— <u>बागान स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता:</u>—योजनान्तर्गत सेब के अति सघन एवं

ffice by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-3-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 25/09

सीडलिंग आधारित बागान स्थापित करने हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 02 नाली (0.04 हैक्टेयर) से अधिकतम 100 नाली (02 हैक्टेयर) प्रति लाभार्थी/समूह आदि को देय होगा। राजसहायता की गणना आवेदक द्वारा स्थापित अति सघन सेब बागानों एवं सीडलिंग के आधार पर अनुपातिक आधार (Prorata base) पर की जायेगी।

6– क्रियान्वयन की प्रक्रिया:–

अति सघन बागवानी हेतु फर्म एवं संस्था का चयन:–

1. लाभार्थियों के प्रक्षेत्र पर सेब की अति सघन बागवानी हेतु बागानों को विकसित करने हेतु उद्यान विभाग द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EoI) न्यूनतम दर दाता के आधार पर सूचीबद्ध फर्म/संस्था से बागान स्थापित कराना होगा, उक्त दरों पर अन्य फर्म/संस्था जिनके द्वारा EoI में प्रतिभाग किया गया हो, को भी बागान स्थापना हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध की जा सकती है।
2. फर्म/संस्था का चयन हेतु आवेदन वार्षिक आधार पर विभाग द्वारा 01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञप्ति जारी कर की जायेगी। विभाग नई फर्म/संस्था के चयन हेतु प्रतिवर्ष उपरोक्त अवधि में पंजीकरण कर सकता है। प्रथम वर्ष में इस समय सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।
3. चयनित फर्म/संस्था का पंजीकरण तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, तदोपरान्त पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन की आवश्यकता होगी। यदि कृषक/समूह, सूचीबद्ध फर्मो/संस्थाओं में से किसी से भी कार्य कराने का इच्छुक न हो, तो वह स्वयं भी बागान स्थापित कर सकता है।
4. प्रस्तावित योजना के तहत क्षेत्र विशेष की मिट्टी, जलवायु, पानी की उपलब्धता आदि कारकों के आधार पर सेब की प्रजाति का चयन किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक व्यवस्थायें कर ली जायेगी।
5. योजना से प्राप्त लाभों का Mid Term Review विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जिससे योजना की उपादेयता/लक्ष्यों की प्राप्ति का समुचित मूल्यांकन हो सके।
6. जिन पौधों को राज्य के बाहर से लाया जायेगा, उनके क्वारंटीन की समुचित व्यवस्था/प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
7. लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता तथा योजना के क्रियान्वयन का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही लाभार्थियों से योजना के सम्बन्ध में समय–समय पर Feedback भी लिया जायेगा।

7– राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति:– योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एवं जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा। साथ ही राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट निदेशालय स्तर पर गठित की जायेगी, जो निम्नवत् होंगी–

(1) राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति–

1. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन– अध्यक्ष

eOffice by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-3-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 25/03/2023 12.02 PM

OATH COMMISSIONER DEHRADUN

प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन– सदस्य
सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन– सदस्य
4. सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन– सदस्य
5. महानिदेशक, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड– सदस्य
6. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड– सदस्य सचिव
7. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून अथवा नामित प्रतिनिधि– सदस्य
8. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक अथवा नामित प्रतिनिधि– सदस्य
9. वैज्ञानिक, प्रभारी, भा0कृ0अ0सं0–केन्द्रीय शीतोष्ण उद्यान संस्थान, मुक्तेश्वर– सदस्य
10. उत्तराखण्ड राज्य के प्रगतिशील सेब कृषक / उद्यान पण्डित (02)– सदस्य

(2) जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति–

1. जिलाधिकारी– अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी– उपाध्यक्ष
3. मुख्य / जिला उद्यान अधिकारी– सदस्य सचिव
4. सहायक निबन्धक, सहकारिता– सदस्य
5. प्रतिनिधि नाबार्ड– सदस्य
6. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक अथवा जिला सहकारी बैंक द्वारा नामित– प्रतिनिधि सदस्य
7. सम्बन्धित उद्यान सचल दल केन्द्र का प्रभारी– सदस्य
8. जनपद के प्रगतिशील सेब कृषक / उद्यान पण्डित (02)– सदस्य

(3) राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (SPMU)

1. निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. संयुक्त निदेशक, नर्सरी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित उपनिदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. तकनीकी कार्मिक (निदेशालय स्तर)।
5. कम्प्यूटर ऑपरेटर।

8– <u>कार्यान्वयन एवं सब्सिडी संवितरण</u>:–

<u>संयुक्त स्थलीय निरीक्षण एवं राजसहायता का भुगतान</u>:– कृषकों / समूहों आदि को राजसहायता का भुगतान संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दल निम्न प्रकार होगा:–

1. मुख्य / जिला उद्यान अधिकारी।
2. सम्बन्धित बैंक के प्रतिनिधि।
3. बागान स्थापना करने वाली फर्म / संस्था का प्रतिनिधि।
4. सम्बन्धित कृषक।
5. सम्बन्धित उद्यान सचल दल केन्द्र के प्रभारी।

...m eOffice by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-3-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 25/09/2021 12:02 PM

OATH COMMISSIONER DEHRADUN

कृषक प्रक्षेत्र पर सेब का बागान स्थापित किये जाने के उपरान्त कार्यदायी / चयनित फर्म/संस्था द्वारा सम्बन्धित मुख्य / जिला उद्यान अधिकारी को स्थलीय निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित करना होगा। जनपदीय अधिकारी को पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण दल अपनी आख्या निरीक्षण के 05 दिन के अन्दर लाभार्थी एवं आवेदनकर्ता के बैंक को प्रेषित करेगा। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दल की संतोषजनक आख्या के आधार पर बैंक द्वारा कार्यदायी / चयनित संस्था / फर्म को 10 दिन के अन्दर अनुदान की धनराशि अवमुक्त करनी होगी।

1. प्रथम संयुक्त स्थलीय निरीक्षण पौधरोपण, ट्रैलिस, सूक्ष्म सिंचाई एवं एंटी-हैलनेट आदि की स्थापना के उपरान्त किया जायेगा। प्रथम संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के सफल होने के उपरान्त अनुदान के 40 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म / संस्था को किया जायेगा।
2. द्वितीय संयुक्त स्थलीय निरीक्षण (माह सितम्बर-अक्टूबर) में रोपित फल-पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता पाये जाने पर अनुदान के 35 प्रतिशत धनराशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म / संस्था को किया जायेगा।
3. तृतीय संयुक्त स्थलीय निरीक्षण सेब के बागान में कम से कम 90 प्रतिशत पौधों पर रोपित प्रजाति के मानकानुसार फल की गुणवत्ता एवं मात्रा को सुनिश्चित करने हेतु किया जायेगा। इसके सफल होने पर प्रस्तावित अनुदान की अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म / संस्था को किया जायेगा।

9- <u>योजना के प्रभाव का मूल्यांकन</u>:- योजना का मूल्यांकन विभाग द्वारा गठित समिति के माध्यम से प्रथम मूल्यांकन तीसरे वर्ष, द्वितीय मूल्यांकन पांचवे वर्ष एवं तृतीय मूल्यांकन सातवें वर्ष में किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन उपरान्त कृषकों की आर्थिकी पर पड़ने वाले प्रभाव, योजना के "प्रदर्शन मूल्यांकन (Performance Evaluation) राज्य के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालयों / भारत सरकार के राज्य में स्थित कृषि संस्थानों / कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि के माध्यम से कराया जायेगा। मूल्यांकन के सकारात्मक प्रभाव की स्थिति में योजना का क्रियान्वयन आगामी वर्षो हेतु किया जायेगा"। योजना में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम स्तर का अनुमोदन उपरान्त संशोधित योजना आगे क्रियान्वित की जायेगी।

10- योजना के क्रियान्वयन में कोई विधिक कठिनाईयों एवं योजना में आंशिक संशोधन हेतु सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को अधिकृत किया जाता है।

11- योजनान्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर एक या दो प्रगतिशील कृषकों के प्रक्षेत्र पर मॉडल के रूप में आधा एकड़ या उससे कम क्षेत्रफल पर बगीचा स्थापित कर क्षेत्र के काश्तकारों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

12-प्रशिक्षण / भ्रमणः- सेब की अति सघन बागवानी से सम्बन्धित नवीनतम तकनीकियों का कृषकों / विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षण / भ्रमण आदि कराया जायेगा। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त कृषकों को बागान स्थापना हेतु वरीयता दी जायेगी।

eOffice by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-3-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 25/09/2023 12:(

COMMISSIONER DEHRADUN

-योजना के लाभ:-

- राज्य मे सेब के उत्पादन एव उत्पादकता मे गुणात्मक वृद्धि।
- सेब की अति सघन बागवानी से लगभग 25 मै0टन/है0 उत्पादकता प्राप्त होगी।
- पर्याप्त गुणवत्तायुक्त उत्पादन से कृषकों को अच्छा मूल्य प्राप्त होने से उनकी आय में वृद्धि।
- योजनान्तर्गत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 45,000 से 50,000 रोजगार सृजन होंगे।
- राज्य में सेब का वर्तमान व्यवसाय लगभग रू0 200.00 करोड़ है। आगामी 08 वर्षों में सेब की अति सघन बागवानी के माध्यम से इस व्यवसाय को बढ़ाकर रू0 2000.00 करोड़ किये जाने का लक्ष्य है।
- राज्य मे स्थापित सेब आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को कच्चे माल की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी।
- पर्वतीय क्षेत्रों से स्वरोजगार विकसित होने से पलायन में कमी आयेगी।
- राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) की वृद्धि में सहयोग।

14–योजना की अवधि:– योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2023–24 से 2030–31 तक किया जायेगा।

15–योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदन प्रकिया, वर्षवार लक्ष्य, विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व आदि पृथक से जारी किये जायेंगे।

16–वित्तीय व्यवस्था:– योजनान्तर्गत कुल अनुदान रू0 732.58 करोड़ एवं अन्य सम्बद्ध लागत रू0 76.21 करोड़ से प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण आदि पर व्यय किया जायेगा। इस प्रकार 08 वर्षो में कुल रू0 808.79 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है। योजना के बजट की व्यवस्था वर्तमान राज्य सेक्टर के अन्तर्गत संचालित मिशन एप्पल योजना से की जायेगी, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में मिशन एप्पल योजनान्तर्गत रू0 35.00 करोड का बजट प्राविधान है।

यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अ0शा0पत्र संख्या–I/155624/XXVII(IV)/2023, दिनांक 20 सितम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Deependra Kumar Chaudhari
Date: 25-09-2023 10:56:21

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख निजी सचिव–मा0 कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

Office by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-1-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 25/09/2023 12:02

OATH COMMISSIONER DEHRADUN

5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य / जिला उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड / उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. अनुभाग अधिकारी, कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Mahima Raunkaly
Date: 25-09-2023 11:36:36
(महिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।

OATH COMMISSIONER ★ DELHI ★

(13)

प्रेषक,

महिमा रौकली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या-I/281964/XIII-3/25/10(10)/2023

CHO

अपर निदेशक/अधिकारी
17/3/25

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-3,

देहरादून, दिनांक: 11 ~~फरवरी~~ मार्च 2025।

विषयः सेब की अति सघन बागवानी योजना (राज्य सेक्टर) के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-207/सेब की अति सघन बागवानी योजना/2024-25, दिनांक 23 नवम्बर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सेब की अति सघन बागवानी योजना (राज्य सेक्टर) हेतु पूर्व निर्गत संशोधित शासनादेश दिनांक 07.02.2024 में अंकित अनुदान में आंशिक संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 07.02.2024 के बिन्दु संख्या-8 के उपबिन्दु संख्या-1, 2 एवं 3 (कार्यान्वयन एवं सब्सिडी संवितरण) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	शासनादेश	विद्यमान प्राविधान	प्रस्तावित प्राविधान
1.	शासनादेश संख्या-188350/XIII-3/24/10(10)/2023, दिनांक: 07.02.2024 (प्रथम संशोधन) [शासनादेश संख्या: 1/156716/XIII-3/23/10(10), दिनांक: 25 सितम्बर, 2023 के बिन्दु संख्या- 8 (कार्यान्वयन एवं सब्सिडी संवितरण) के बिन्दु संख्या- 1 के उप बिन्दु-1, 2 एवं 3 (द्वितीय संशोधन)] उपरोक्त शासनादेशों के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।	बिन्दु संख्या-2 : 1. प्रथम संयुक्त स्थलीय निरीक्षण : पौध रोपण, ट्रेलिस सूक्ष्म सिंचाई एवं एन्टी हेलनेट आदि की स्थापना उपरान्त किया जायेगा। प्रथम संयुक्त स्थलीय निरीक्षण सफल होने के उपरान्त परियोजना की कुल लागत का 40 प्रतिशत का भुगतान बागान स्थापित करने वाली फर्म को तथा कृषक द्वारा स्वयं बागान स्थापित करने की दशा में अनुदान का 40 प्रतिशत भुगतान कृषक को किया जाएगा।	बिन्दु संख्या-2 : 1. प्रथम संयुक्त स्थलीय निरीक्षण i. सेब के अति सघन बागान स्थापना हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (Land Preparation/ development, Pit Digging and Filling, Compost and Water Soluble Fertilizers, Plant Protection Chemicals, Trellis with Installation, Micro-Irrigation with Installation, Anti-Hail Net with Installation, Mulching Mat, Angle Iron Supported Barbed Wire Fencing etc) से सम्बन्धित कार्यों के पूर्ण होने उपरान्त, भुगतान हेतु संयुक्त स्थलीय निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। तथा समिति की संस्तुति के पश्चात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट करने वाली फर्म को प्रथम वर्ष में ही

AEWI MISC/1/29/2023-XIII-3-Agriculture and Farmers Welfare Department (Computer No. 548781)
Generated from eOffice by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-3-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 11/03/2025 03:31 PM

		2. <u>द्वितीय संयुक्त स्थलीय निरीक्षण</u>: माह सितम्बर-अक्टूबर में रोपित फल	अनुदान राशि (राज सहायता अंश) का 90 प्रतिशत एवं कृषक अंश की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान किया जायेगा अथवा यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट से सम्बन्धित कार्य कृषक द्वारा स्वय किया जाता है, तो अनुदान राशि का 90 प्रतिशत भुगतान कृषक को किया जाएगा। अनुदान राशि के अवशेष 10 प्रतिशत का भुगतान तृतीय संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त, समिति की संस्तुति पर सम्बन्धित को किया जायेगा। ii. फल पौध रोपण सामग्री पर अनुदान राशि का भुगतान बागान स्थापना वर्ष (प्रथम वर्ष) में 70 प्रतिशत देय होगा। यदि कृषक द्वारा फल पौध रोपण सामग्री स्वयं से क्रय की जाती है, तो अनुदान राशि का भुगतान कृषक को अथवा यदि पौध रोपण सामग्री का आवंटन निदेशालय द्वारा प्राप्त होता है, तो अनुदान राशि का भुगतान संबन्धित पौधशाला स्वामी को किया जाएगा। 2. <u>द्वितीय संयुक्त स्थलीय निरीक्षण</u> : द्वितीय वर्ष, माह सितम्बर-अक्टूबर में रोपित फल पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित करने हेतु द्वितीय संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के उपरांत, समिति की संस्तुति पर फल पौध रोपण सामग्री पर अनुमन्य अनुदान राशि की अवशेष 20 प्रतिशत अंश का भुगतान। यदि कृषक द्वारा स्वयं से पौध रोपण सामग्री क्रय की गयी है

No AFW) MISC/1/29/2021-XIII-3 Agriculture and Farmers Welfare Department (Computer No 34871)
Printed from eOffice by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-J-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 11/03/2025 03:31 PM

		पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता पाये जाने पर परियोजना की कुल लागत का 35 प्रतिशत का भुगतान बागान स्थापित करने वाली फर्म को तथा कृषक द्वारा स्वयं बागान स्थापित करने की दशा में अनुदान का 35 प्रतिशत भुगतान कृषक को किया जाएगा।	तो कृषक को किया जायेगा अथवा यदि फल पौध रोपण सामग्री का आवंटन निदेशालय द्वारा किया गया है, तो सम्बन्धित फल पौधशाला स्वामी को किया जायेगा। 3.<u>तृतीय संयुक्त स्थलीय निरीक्षण</u> : सेब के बागान में कम से कम 90 प्रतिशत पौधों पर रोपित प्रजाति के मानकानुसार फल की गुणवत्ता एवं मात्रा को सुनिश्चित करने हेतु तृतीय
		3. <u>तृतीय संयुक्त स्थलीय निरीक्षण</u>: सेब के बागान में कम से कम 90 प्रतिशत पौधे पर रोपित प्रजाति के मानकानुसार फल की गुणवत्ता एवं मात्रा को सुनिश्चित करने हेतु किया जायेगा। इसके सफल होने पर परियोजना की कुल लागत का 25 प्रतिशत का भुगतान बागान स्थापित करने वाली फर्म को तथा कृषक द्वारा स्वयं बागान स्थापित करने की दशा में अनुदान का 25 प्रतिशत भुगतान कृषक को किया जाएगा।	संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त, समिति की संस्तुति पर, यदि कृषक द्वारा फल पौध रोपण सामग्री स्वयं से क्रय की गई है, तो अनुदान राशि के अवशेष 10 प्रतिशत अंश का भुगतान कृषक को किया जायेगा अथवा यदि आवंटन निदेशालय द्वारा किया गया है, तो अनुदान राशि के अवशेष 10 प्रतिशत अंश का भुगतान संबन्धित पौधशाला स्वामी को किया जाएगा।

i. गुणवत्ता से सम्बन्धित मानकों के आलोक में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के पश्चात् ही फर्म को भुगतान किया जायेगा। साथ ही पौधरोपण सामग्री की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जायेगा, जिससे कि पौधों की जीवितता के प्रतिशत में वृद्धि की जा सके।

ii. विभागीय योजनाओं का लाभ जनसामान्य तक पहुंचाने हेतु विभाग द्वारा ठोस एवं पारदर्शी रणनीति तैयार की जाय, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाय कि एक ही व्यक्ति/परिवार ही हमेशा लाभान्वित न हो; अन्य व्यक्तियों/परिवारों को भी डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभान्वित किये जाने हेतु नीति बनायी जाय, जिसमें आधार से भी लिंक किये जाने का भी प्राविधान हो।

COMMISSIONER DEHRADUN

(16)

... Agriculture and Farmers Welfare Department

3. उक्त शासनादेश दिनांक 07.02.2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटरजनित ई संख्या-1/280690/2025, दिनांक 06.03.2025 में प्राप्त उनकी सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
Signed by
Mahima
Date: 11-03-2025 14:05:14
(महिमा रौकली)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4. ~~महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।~~
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड औद्यानिक परिषद, देहरादून।
7. समस्त मुख्य / जिला उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड / उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार-द्वारा निदेशक, उद्यान।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by
Sudhir Kumar Chaudhary
Date: ...2025 15:08:21
(सुधीर कुमार चौधरी)
उपसचिव

COMMISSIONER ... DEHRADUN

A-Cost Estimation of Construction of protection wall, Boundary wall, Access path to orchard and Filling of Earth

Sl. No.	Particular of Item	Quantity	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
1.	**Construction of Stone Masonry Protection wall.**			
1(a)	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer – in – charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification.	62x0.6x0.20= 7.44 Cum	464.10 Rs./Cum (SOR item 1-2)	3,452.90
1(b)	Random Rubble Stone Masonry laid Dry, in breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification.	62x0.6x1.2= 44.64 Cum	3641.70 Rs./Cum (SOR item 1-3)	1,62,565.49
1(c)	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification.	62x0.6x1.0= 37.20 Cum	5655.40 Rs./Cum (SOR item 1-4)	2,10,380.88
1(d)	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203. P.C.C grade M 15, Nominal mix (1:2.5:5)	62x0.6x0.10= 3.72 Cum	7818.60 Rs./Cum (SOR item 11-4-2-1)	29,085.19
2.	**Earth Filling.**			
2(a).	Filling in foundation trenches as per drawing and technical specification Clause 305.3.9, Earth filling (For marshy soil).	50x5.5x0.90= 247.50 Cum	298.00 Rs./Cum (SOR item 11-2-2)	73,755.00
3.	**Construction of B-wall.**			
3(a)	Brick masonry work in cement mortar in foundation complete excluding pointing and plastering as per drawing and technical specifications Clauses 600, 1202 & 1203, Brick masonry in 1:4 cement mortar.	1x62x0.115x1.0 = 7.13 Cum 21x0.23x0.23x1.0 = 1.11 Cum 7.13+1.11= 8.24 cum	7590.50 Rs./Cum (SOR item 11-5-2)	62,545.72

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
उत्तरकाशी

COMMISSIONER ... DEHRADUN

(18)

3(b).	Plastering with Cement Mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification	1x62x1.0 = 62 Sqm	248.70 ✓ Rs./Sqm (SOR item 9-13)	15,419.40 ✓
4.	**Construction of Access path to orchard.**			
4(a).	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 ans 1204 (For height upto 5 m) P.C.C. grade M 20, Nominal mix (1:2:4).	10.5x1.2x0.125=1.58 6x0.23x0.23=0.32 (15/2)x1.2x0.18=1.62 1.58+0.32+1.62=3.52	9280.60 ✓ Rs./Cum (SOR item 12-5-2-1)	32,667.71 ✓
4(b).	Supplying, fitting and placing HYSD bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202	(1.58+0.32)x 1.5/100x7850/1000= 0.224 MT	66626.30 ✓ Rs./MT (SOR item 12-6)	14,924.29 ✓
5.	**Dismantling of Interlocking Tile and WBM Work.**			
5(a).	Dismantling Brick/Tile Work Dismantling of existing structures like culverts, bridges, retaining walls and other structures comprising of brick masonry, including disposal of unserviceable material and stacking the serviceable material with all lift and lead of 1000 m as per Technical Specification Clause 202. Dry Brick Pitching or Brick Soling.	50x5.5x0.08= 22.00 Cum	297.90 ✓ Rs./Cum (SOR item 2-6-D)	6,553.80 ✓
5(b).	Dismantling of Flexible Pavements Dismantling of flexible pavements and disposal of dismantled materials upto a lead of 100 m, stacking serviceable and unserviceable materials separately as per Technical Specification Clause 202, Granular courses.	50x5.5x0.15= 41.25 Cum	787.10 ✓ Rs./Cum (SOR item 2-14-1-B)	32,467.88 ✓
			Total	**6,43,818.26** ✓
			Add GST 18%	**1,15,887.29** ✓
			Total (A)	**7,59,705.55** ✓

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी

OATH COMMISSIONER ★ DEHRADUN ★

(19)

B- Cost Estimation of Re-plantation of 19 Apple trees in 0.031 ha

Sl. No.	Particular of Item	Quantity	Rate (Rs.) (with GST)	Amount (Rs.)
1.	Land preparation.	0.031 x 2.471= 0.077 acre	10,000 Rs./acre	770.00
2.	Pit digging and filling.	0.031 x 2.471= 0.077 acre	30,000 Rs./acre	2,310.00
3.	Cost of Planting material (@Rs. 150 per plant (plants-440) (spacing 3mx3m) (3-5 feathers)	0.031 x 2.471= 0.077 acre	66,000 Rs./acre	5,082.00
4.	Compost and fertilizers	0.031 x 2.471= 0.077 acre	4,000 Rs./acre	308.00
5.	Plant protection chemicals.	0.031 x 2.471= 0.077 acre	2,000 Rs./acre	154.00
6.	Micro irrigation with installation.	-	Lump sum	20,000.00
7.	Angle iron supported barbed wire fencing with 5 wire horizontal, 2 wire diagonally, angle iron 7 ft. in height, 5.5 ft. above ground and 1.5 ft. below ground.	0.031 x 2.471= 0.077 acre	1,92,000 Rs./acre	14,784.00
			Total (B)	43,408.00

मुख्य उद्यान अधिकारी
उत्तरकाशी

OATH COMMISSIONER DEHRADUN

(20)

Abstract of Cost

Sl. No.	Particular of Item		Amount (Rs.)
1.	A- Cost Estimation of Construction of protection wall, Boundary wall, Access path to orchard and Filling of Earth	-	7,59,705.55
2.	B- Cost Estimation of Re-plantation of 19 Apple trees	-	43,408.00
	Total Cost of Restoration of Apple orchard.	Total (A+B)	8,03,113.55
		Say (Rs.)	8,03,114.00

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी

OATH COMMISSIONER

28/3/26

ANNEXURE - 2

ANNEURE-2

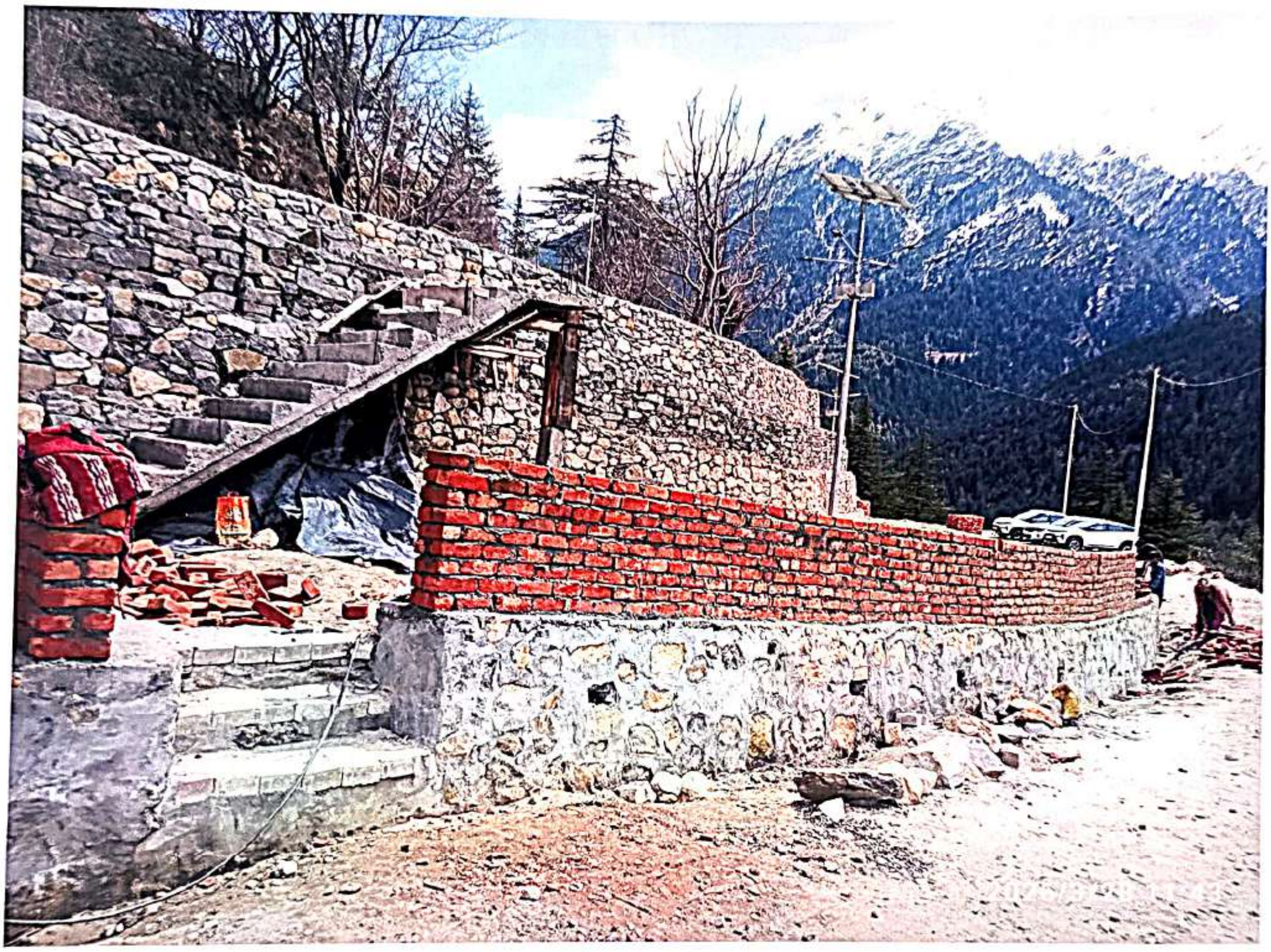

28/3/26

ANNEXURE-2

Latitude: 31.042293
Longitude: 78.781091
Elevation: 2515.78±25.0 m
Accuracy: 300.0 m
Azimuth: 120° (SE)
Pitch: -0.2° (-2.4°)
Time: 03-26-2026 13:23
Powered by AngleCam

Time: 24-02-2026 13:41
Note: 23128PC33I (Xiaomi)
Powered by NoteCam

401

ANNEXURE-2

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी

☎🖷 – 01374–222143 e-mail :- dhoukl2@gmail.com

पत्रांकः– 2671 /एन0जी0टी0–मूल्यांकन/2025–26 दिनांकः 10 मार्च, 2026

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
भटवाड़ी, उत्तरकाशी

विषयः– **Status of Complinnce including Restroration, Compensation and Other Directions Honble NGT order dated 19.12.2025 in OA No- 80/2025 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 3246/कोर्ट केस/ओ0ए0नं0–80/2025/25–26 दिनांकः चौबटियाः फरवरी, 23/2026 (छाया प्रति संलग्नक) के क्रम में शासन के पत्र संख्या–1/370783/12(01)/2020 TC (E-72912) दिनांक 13.02.2026 (छाया प्रति संलग्नक), के क्रम में शासन द्वारा श्रीमती बसन्ती देवी के पत्र दिनांक 07.02.2026 (छाया प्रति संलग्नक) मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन में अग्रेत्तर सम्यान्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के क्रम में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी) के पत्रांके 268/कोर्ट केस/ दिनांक 16.02.2026 द्वारा याचिकाकर्त्ता बसन्ती देवी के क्षतिग्रस्त खेत के क्षेत्रफल 0.031 में फलदार 19 वृक्षों के पुनः रोपण एंव फलदार 19 वृक्षों की वार्षिक आय की दर का आगणन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है,

उक्त के क्रम में निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन–चौबटिया, रानीखेत के पत्र संख्या 258/उ0त0–फल वृक्ष–मूल्यांकन/2022–23 दिनांकः चौबटियाः 28 अप्रैल 2022 द्वारा उत्तराखण्ड में फल वृक्षों का मूल्यांकन की संशोधित नियमावली के आधार पर प्रभावित वृक्षों के मूल्यांकन का आकंलन (वृक्षों की श्रेणी की सूचना उपलब्ध ना होने पर श्रेणी–1 से श्रेणी–3 तक) संलग्नक कर प्रेषित किया जा रहा है, उक्त प्रकरण पर अपने स्तर से संलग्नक अनुसार वृक्षों की श्रेणीयों के आधार पर प्रतिकर का आगंणन करने का कष्ट करें।

उक्त पत्रो के क्रम संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत भूमि लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी, उत्तरकाशी द्वारा पार्किंग संरचना को ध्वस्त करने तथा कंक्रीट, मलबा और भराई समाग्री को हटाकर भूमि की मूल स्थिति बहाल की कर उद्यान विभाग के मार्गदर्शन में सेब के बगीचे को लगाने हेतु पुनर्स्थापना योजना/पुनः रोपण का विवरण भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(डा0 रजनीश सिंह)
मुख्य उद्यान अधिकारी,
उत्तरकाशी

पत्रांकः– /उक्तदिनांकित

प्रतिलिपिः– प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, हर्षिल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण की महत्ता को देखते हुये सेब के बगीचे के पुनर्स्थापना/पुनः रोपण हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा) की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
उत्तरकाशी

COMMISSIONER ... DE...
9/3/26

Annexure A4

प्रभावित वृक्षों का श्रेणीवार मूल्यांकन का विवरण

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन–चौबटिया, रानीखेत के पत्र संख्या 258/उ0त0–फल वृक्ष–मूल्यांकन/2022–23 दिनांकः चौबटिया 28 अप्रैल 2022 "फलदार वृक्षों की संशोधित मूल्यांकन नियमावली" के अनुसार मूल्यांकन

श्रेणी–1 (100 प्रतिशत वैल्यू वाले वृक्ष होने पर)–उत्तम व्यवसायिक किस्में, उत्तम रखरखाव, उत्तम वृक्ष बढ़ोतरी एंव उत्पादन

क्र0 सं0	फल पौध का नाम	प्रजाति	फल पौधों की संख्या	कुल आयु	अफलत वर्ष	फलत के औसत वर्ष	फल पौधों के कुल अवशेष फलत वर्ष	फल पौधों की वार्षिक आय	अनावर्तक एवं आवर्तक व्यय आगणन (बैसिक वैल्य = अनावर्तक व्यय + (आवर्तक व्यय x अफलत उम्र या सैपलिंग अवस्था के वर्ष)	अवशेष फलत आयु का मूल्यांकन	कुल धनराशि
1	सेब	डेलीसस प्रजाति	5	8	5	45	42	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 5 = 5350.00	1725.00 x 42 / 4 x 5 = 90562.50 x 100% 90562.50	95912.50
2	सेब	डेलीसस प्रजाति	1	28	5	45	22	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 1 = 1070.00	1725.00 x 22 / 4 x 1 = 9487.50 x 100% 9487.50	10557.50
3	सेब	डेलीसस प्रजाति	1	6	5	45	44	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 1 = 1070.00	1725.00 x 44 / 4 x 1 = 18975.00 x 100% 18975.00	20045.00
4	सेब	डेलीसस प्रजाति	4	20	5	45	30	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 4 = 4280.00	1725.00 x 30 / 4 x 4 = 51750.00 x 100% 51750.00	56030.00
5	सेब	डेलीसस प्रजाति	3	35	5	45	15	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 3 = 3210.00	1725.00 x 15 / 4 x 3 = 19406.25 x 100% 19406.25	22616.25
6	चूल्लू	चूल्लू	1	6	4	45	43	540.00	205.00 + 118.00 x 4 = 677.00 x 1 = 677.00	540.00 x 43 / 4 x 1 = 5805.00 x 100% 5805.00	6482.00
7	सेब	डेलीसस प्रजाति	3	12	.5	45	38	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 3 = 3210.00	1725.00 x 38 / 4 x 3 = 49162.50 x 100% 49162.50	52372.50
	कुल योग		18						18867.00	245148.75	264015.75

नोटः– विभाग द्वारा केवल फलदार वृक्ष का मूल्यांकन की कार्यवाही की जाती है, खड़क वृक्ष का मूल्यांकन वन विभाग द्वारा की जानी है।

श्रेणी–2 (75 प्रतिशत वैल्यू वाले वृक्ष होने पर)–उत्तम व्यवसायिक प्रजातियाँ (श्रेणी–1 का 75 प्रतिशत सामान्य बढाव तथा फलत की स्थिति), अव्यवसायिक जातियाँ तथा अन्य स्थिति

क्र0 सं0	फल पौध का नाम	प्रजाति	फल पौधों की संख्या	कुल आयु	अफलत वर्ष	फलत के औसत वर्ष	फल पौधों के कुल अवशेष फलत वर्ष	फल पौधों की वार्षिक आय	अनावर्तक एवं आवर्तक व्यय आगणन (बैसिक वैल्य = अनावर्तक व्यय + (आवर्तक व्यय x अफलत उम्र या सैपलिंग अवस्था के वर्ष)	अवशेष फलत आयु का मूल्यांकन	कुल धनराशि
1	सेब	डेलीसस प्रजाति	5	8	5	45	42	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 5 = 5350.00	1725.00 x 42 / 4 x 5 = 90562.50 x 75% 67921.88	73271.88
2	सेब	डेलीसस प्रजाति	1	28	5	45	22	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 1 = 1070.00	1725.00 x 22 / 4 x 1 = 9487.50 x 75% 7115.63	8185.63
3	सेब	डेलीसस प्रजाति	1	6	5	45	44	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 1 = 1070.00	1725.00 x 44 / 4 x 1 = 18975.00 x 75% 14231.25	15301.25
4	सेब	डेलीसस प्रजाति	4	20	5	45	30	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 4 = 4280.00	1725.00 x 30 / 4 x 4 = 51750.00 x 75% 38812.50	43092.50
5	सेब	डेलीसस प्रजाति	3	35	5	45	15	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 3 = 3210.00	1725.00 x 15 / 4 x 3 = 19406.25 x 75% 14554.69	17764.69
6	चूल्लू	चूल्लू	1	6	4	45	43	540.00	205.00 + 118.00 x 4 = 677.00 x 1 = 677.00	540.00 x 43 / 4 x 1 = 5805.00 x 75% 4353.75	5030.75
7	सेब	डेलीसस प्रजाति	3	12	5	45	38	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 3 = 3210.00	1725.00 x 38 / 4 x 3 = 49162.50 x 75% 36871.88	40081.88
	कुल योग		18						18867.00	183861.56	202728.56

नोटः– विभाग द्वारा केवल फलदार वृक्ष का मूल्यांकन की कार्यवाही की जाती है, खड़क वृक्ष का मूल्यांकन वन विभाग द्वारा की जानी है।

OATH COMMISSIONER DEHRA…

मुख्य उद्यान अधिकारी,
उत्तरकाशी

श्रेणी–3 (50 प्रतिशत वैल्यू वाले वृक्ष होने पर)– अव्यवसायिक प्रजातियों तथा सामान्य रखरखाव (श्रेणी–1 का 50 रखरखाव सामान्य)

क्र0 सं0	फल पौध का नाम	प्रजाति	फल पौधों की संख्या	कुल आयु	अफलत वर्ष	फलत के औसत वर्ष	फल पौधों के कुल अवशेष फलत वर्ष	फल पौधों की वार्षिक आय	अनावर्तक एवं आवर्तक व्यय आगणन (बैसिक वैल्य = अनावर्तक व्यय + (आवर्तक व्यय x अफलत उम्र या सैपलिंग अवस्था के वर्ष)	अवशेष फलत आयु का मूल्यांकन	धनराशि
1	सेब	डेलीसस प्रजाति	5	8	5	45	42	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 5 = 5350.00	1725.00 x 42 / 4 x 5 = 90562.50 x 50% 45281.25	50631.25
2	सेब	डेलीसस प्रजाति	1	28	5	45	22	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 1 = 1070.00	1725.00 x 22 / 4 x 1 = 9487.50 x 50% 4743.75	5813.75
3	सेब	डेलीसस प्रजाति	1	6	5	45	44	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 1 = 1070.00	1725.00 x 44 / 4 x 1 = 18975.00 x 50% 9487.50	10557.50
4	सेब	डेलीसस प्रजाति	4	20	5	45	30	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 4 = 4280.00	1725.00 x 30 / 4 x 4 = 51750.00 x 50% 25875.00	30155.00
5	सेब	डेलीसस प्रजाति	3	35	5	45	15	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 3 = 3210.00	1725.00 x 15 / 4 x 3 = 19406.25 x 50% 9703.13	12913.13
6	चूल्लू	चूल्लू	1	6	4	45	43	540.00	205.00 + 118.00 x 4 = 677.00 x 1 = 677.00	540.00 x 43 / 4 x 1 = 5805.00 x 50% 2902.50	3579.50
7	सेब	डेलीसस प्रजाति	3	12	5	45	38	1725.00	390.00 + 136.00 x 5 = 1070.00 x 3 = 3210.00	1725.00 x 38 / 4 x 3 = 49162.50 x 50% 24581.25	27791.25
		कुल योग	18						18867.00	122574.38	141441.38

प्रभावित वृक्षों की श्रेणी–1 से श्रेणी–6 तक की सूचना उपलब्ध ना होने पर एवं प्रकरण के महत्ता को देखते हुये उपरोक्त प्रभावित वृक्षों की श्रेणी–1, 2 एवं 3 तक मूल्यांकन किया गया है, प्रभावित वृक्षों के समय जिस श्रेणी के थे उसी श्रेणी का प्रतिकर होगा।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
उत्तरकाशी

OATH COMMISSIONER * DEHRADUN *

B- Cost Estimation of Re-plantation of 19 Apple trees in 0.031 ha

Sl. No.	Particular of Item	Quantity	Rate (Rs.) (with GST)	Amount (Rs.)
1.	Land preparation.	0.031 x 2.471= 0.077 acre	10,000 Rs./acre	770.00
2.	Pit digging and filling.	0.031 x 2.471= 0.077 acre	30,000 Rs./acre	2,310.00
3.	Cost of Planting material (@Rs. 150 per plant (plants-440) (spacing 3mx3m) (3-5 feathers)	0.031 x 2.471= 0.077 acre	66,000 Rs./acre	5,082.00
4.	Compost and fertilizers	0.031 x 2.471= 0.077 acre	4,000 Rs./acre	308.00
5.	Plant protection chemicals.	0.031 x 2.471= 0.077 acre	2,000 Rs./acre	154.00
6.	Micro irrigation with installation.	-	Lump sum	20,000.00
7.	Angle iron supported barbed wire fencing with 5 wire horizontal, 2 wire diagonally, angle iron 7 ft. in height, 5.5 ft. above ground and 1.5 ft. below ground.	0.031 x 2.471= 0.077 acre	1,92,000 Rs./acre	14,784.00
			Total (B)	43,408.00

मुख्य उद्यान अधिकारी
उत्तरकाशी

OATH COMMISSIONER * DEHRADUN *

Annexure - 04

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन--चौबटिया, रानीखेत

☎ 05966--220260,222792 ℻ 05966--221074

पत्रांक /उ0फ0-फल वृक्ष-मूल्यांकन /2020--23 दिनांक:चौबटिया: अप्रैल:2022

1--मुख्य उद्यान अधिकारी
अल्मोड़ा / नैनीताल / पिथौरागढ़ / ऊधमसिंह नगर / देहरादून / हरिद्वार / चमोली / उत्तरकाशी।
2--जिला उद्यान अधिकारी
चम्पावत / बागेश्वर / पौड़ी / टिहरी / रूद्रप्रयाग।
3--उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार।
4--आलू विकास अधिकारी
काशीपुर / नैनीताल / अल्मोड़ा / पिथौरागढ़ / देहरादून / टिहरी / चमोली / उत्तरकाशी।
5--अधीक्षक, राजकीय उद्यान चौबटिया / दूनागिरी।
6--पौधशाला विकास अधिकारी
सौनी / विचाढ़ / ढकरानी / मगरा / कुम्भीचौड़ / परसारी / जरमोला।
7--संयुक्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

विषय-- फलदार वृक्षों की संशोधित मूल्यांकन नियमावली।

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि निदेशालय के पत्रांक--1714 / उ0फ0--फल वृक्ष--मूल्यांकन / 2021--22 दिनांक--18.08.2021 द्वारा फलदार वृक्षों की मूल्यांकन नियमावली प्रचालित की गयी थी, जिसे विभागीय गठित समिति की संस्तुति के आधार पर पुनः संशोधित करते हुए फलदार वृक्षों की मूल्यांकन नियमावली आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः संशोधित मूल्यांकन नियमावली के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न--मूल्यांकन नियमावली।

156
11/05/2022
उ0उ0अ0(II)

CHO
10/05/2022

(डा0 हरमिन्दर सिंह बवेजा)
निदेशक

पत्रांक / उक्तदिनांकित
प्रतिलिपि-- 1--अपर सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2--सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 हरमिन्दर सिंह बवेजा)
निदेशक

OATH COMMISSIONER DEHRADUN

फलदार वृक्षों का अन्तिम मूल्यांकनः–

फल वृक्ष का मूल्यांकन बेसिक वैल्यू तथा आगामी फलत के शेष वर्षों में फलत से होने वाली आय को आगणित कर ज्ञात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तथ्य भी, वृक्ष मूल्यांकन में विशेष महत्व रखता है, कि समबन्धित वृक्ष से अवशेष फलत वृक्षों में होने वाली फलत की आय उद्यानपति को एक गुणा तक मिलती है जबकि उसे सामान्य स्थिति में यह धनराशि लम्बे समय तक किस्तों में प्राप्त होती है, साथ ही उसे भविष्य में उत्पादन एवं फलत के विक्रय हेतु कोई भी प्रयास तथा निवेश नहीं करना पड़ेगा।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वर्षों में फलत से होने वाली आय की धनराशि घटाकर 25 प्रतिशत करना श्रेयकर होगा।

वृक्ष मूल्यांकन का अन्तिम फार्मूला निम्न प्रकार होगाः–

वृक्ष की बेसिक वैल्यू+[वृक्ष के फलत की अवशेष उम्र (वर्ष में)×वार्षिक आय (सारणी दो के कालम 5 के अनुसार 20 से 100 प्रतिशत)(सारणी–एक के श्रेणी को ध्यान में रखते हुये)]×1/4

उदाहरणः– 10 वर्ष पुराने एक सेव का वृक्ष जिसकी श्रेणी सारणी–एक के अनुसार श्रेणी–1 हो का मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा।

अ–बेसिक वैल्यू–सेब के वृक्ष से फलत छठवें वर्ष प्राप्त होती है (सारणी–दो के कालम–3 को देखें) तथा यह पॉच वर्षों तक (Sapling) सैपलिंग अवस्था में रहता है।

1–अनावर्तक व्यय =रू 390.00

2–आवर्तक व्यय =रू0 136.00

अतः बेसिक वैल्यू= अनावर्तक व्यय+(आवर्तक व्यय × अफलत उम्र या सैपलिंग अवस्था के वर्ष) = रू0 390.00 + (रू0 136×5 वर्ष)

390+680=रू0 1070

ब–अवशेष फलत आयु का मूल्यांकनः–

एक 10 वर्ष के सेब वृक्ष (सामान्य पुरानी प्रजाति) से पूर्व ही 5 वर्ष आयु पूर्ण कर लिया है। सेब वृक्ष की औसत फलत आयु 45 वर्ष है (सारणी–2 के कालम–3) 5 वर्ष फलत हो चुकी है तथा 40 वर्ष फलत शेष है। श्रेणी–1 सारिणी–1 के अनुसार सेब वृक्षों से सामान्य आय रू0 17250.00 प्रति वर्ष सम्भावित है। अतएव वृक्ष से कुल प्राप्त आय रू0 69000.00 उसके शेष फलत आयु से प्राप्त होगी। भविष्य के व्यय एवं एक गुणात भुगतान किये जाने के कारण यह धन घटकर ¼ अर्थात रू0 17250.00 होगा। (40×1725×¼=17250.00)

अतः उपरोक्त वर्णित एक सेब वृक्ष का मूल्यांकन निम्नप्रकार होगा–

कुल मूल्यांकन रू0= बेसिक वैल्यू+अवशेष फलत आयु का आगणन

=1070.00+17250.00=रू0 18320.00

नोटः– ऐसे फल वृक्ष जिनकी पातन के समय उम्र अफलत की अवस्था की हो के मूल्यांकन हेतु मात्र आर्वतक एंव अनावर्तक व्यय फार्मूला(बेसिक वैल्यू फार्मूला) का उपयोग किया जाय।

20/7/2022

20/07

OATH COMMISSIONER DEHRADUN

सारिणी—2

फलदार वृक्षों की मूल्यांकन तालिका

क्र0 सं0	फलदार वृक्ष.	फलत की अवस्था		
		फलत में आने का वर्ष	फलत के औसत वर्ष	सारिणी—1 में के अनुसार श्रेणी—1 वृक्ष से वार्षिक आय (रू0 में)
1	2	3	4	5
शीतोष्ण फल वृक्ष				
1	सेब			
	1—डेलीसस एवं अन्य पुरानी व्यवसायिक किस्में	छठवाँ	45	1725.00
2	नाशपाती			
	नाशपाती	सातवाँ	45	2505.00
3	खुबानी			
	1—चुल्लू	पाँचवाँ	45	540.00
	2—व्यवसायिक किस्में		25	1080.00
4	आड़ू			
	1—जंगली	चौथाँ	15	360.00
	2—व्यवसायिक किस्में		15	640.00
5	प्लम	चौथाँ	15	640.00
6	अखरोट बीजू	बारहवाँ	80	957.00
	अखरोट ग्राफटेड	पाचवाँ	60	5127.00
7	बादाम	चौथाँ	15	1973.00
8	हैजलनट	बारहवाँ	80	995.00
9	मीठा पॉगर	बारहवाँ	80	1825.00
10	चेरी	सातवाँ	45	1375.00
11	मक्खन फल (एवोकैड)	सातवाँ	45	1072.00
12	क्विन्स	पाँचवाँ	20	690.00
13	काकू	पाँचवाँ	20	877.00
उपोष्ण एवं समशीतोष्ण फल वृक्ष				
1	आम	पाँचवाँ	50	2782.00
2	लीची	पाँचवाँ	50	2525.00
3	अमरूद	चौथाँ	30	1088.00
4	माल्टा / संतरा / ग्रेपफ्रूट	पाँचवाँ	25	600.00
5	मीठा नीबू (चबूतरी)	चौथाँ	20	672.00
6	कागजी नीबू	पाँचवाँ	30	720.00
7	गलगल	चौथाँ	25	672.00
8	आँवला	पाँचवाँ	45	1050.00
9	अँगूर	तीसरा	30	680.00
10	अनार	चौथाँ	20	800.00
11	लोकाट	छठवाँ	40	427.00
12	चीकू	छठवाँ	40	427.00
13	जामुन	आठवाँ	60	1200.00
14	बेर (कलमी)	पाचवाँ	45	427.00
15	शरीफा	चौथाँ	20	230.00
16	अंजीर उत्तम	पाचवाँ	20	230.00
17	फालसा	दूसरा	10	230.00
18	केला	एक	2	340.00
19	पपीता	दूसरा	4	490.00
20	आँवला (बीजू)	पाँचवा	45	850.00
21	आम (बीजू)	आठवाँ	60	1425.00
22	कटहल	आठवाँ	50	1425.00
23	जाम्भीरी	चौथाँ	15	672.00
24	जंगली अनार	तीसरा	20	255.00

20/4/2022

सारिणी–3 अनावर्तक व्यय आगणन विश्लेषण

क्र0 सं0	मद	कम अवधि के कलमी फल वृक्ष हेतु दर प्रति वृक्ष (रू0)	लम्बी अवधि के कलमी फल वृक्ष हेतु दर प्रति वृक्ष (रू0)	बीजू फल वृक्ष हेतु दर प्रति वृक्ष (रू0)
1	2	3	4	5
1	फलपौध	65.00	100.00	25.00
2	गड्ढा खुदान	158.00	158.00	63.00
3	खाद	56.00	56.00	46.00
4	पौध सुरक्षा रसायन	20.00	20.00	15.00
5	गड्ढा भरान एवं पौध रोपण	26.00	26.00	26.00
6	अन्य व्यय रोपण सिचांई आदि	30.00	30.00	30.00
	योग(अनावर्तक व्यय का योग प्रति वृक्ष रू0)	355.00	390.00	205.00

सारिणी–3 आवर्तक व्यय आगणन विश्लेषण

क्र0 सं0	मद	श्रेणी–क के समस्त बीजू फल वृक्षों हेतु दर प्रति वृक्ष (रू0)	श्रेणी–ख के समस्त कलमी फल वृक्षों हेतु दर प्रति वृक्ष (रू0)
1	2	3	4
1	निराई–गुड़ाई	15.00	15.00
2	खाद एवं उर्वरक	18.00	24.00
3	पौध सुरक्षा	20.00	20.00
4	सिंचाई	15.00	15.00
5	कटाई–छटाई	20.00	32.00
6	देख–रेख एवं अन्य व्यय	30.00	30.00
	योग(आवर्तक व्यय का योग प्रति वृक्ष रू0)	118.00	136.00

कैलाश चन्द्र पुजारी
ज्ये0शोध सहायक
(मुख्यालय)

नवीन चन्द्र पपनै
ज्ये0उद्यान निरीक्षक
(मुख्यालय)

चन्दन राम
सब्जी विशेषज्ञ
(मुख्यालय)

पी0सी0पन्त
वरिष्ठ वित्त
अधिकारी (मु0)

डा0 बृजेश गुप्ता
संयुक्त निदेशक
कुमाँऊ मण्डल
(नैनीताल)

Annexure No - 5

IFMS Uttarakhand

Bill Type : Normal

MI4102422903261038

सामान्य देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१
(वर्तमान अध्याय - ग्यारह, प्रस्तर 250ए, 251, 209, 223)

Validity unknown
Digitally Signed
Name: Mr Navin Lal
Date: 24-Mar-2026 13:42:47
Reason: DDO e-Approval
Location: Bhatwari

1- जनपद का नाम	उत्तरकाशी	**लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण**	
2- कोषागार का नाम	भटवाडी	मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
3- देयक की अवधि कब से.........कब तक		उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)जिला तथा अन्य सड़के
4- रिकार्ड कोड	1 0 5	लघुशीर्षक -	(337)सडक निर्माण कार्य
5- कोषागार/उपकोषागार का कोड	4 1 0 2	उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
6- देयक पंजी की क्रम संख्या	000638	ब्योरेवार शीर्षक -	(04)एन0पी0वी0 का भुगतान / भूमि अधिग्रहण

7- वाउचर संख्या(कोषागार द्वारा भरा जाना है) | | | | | | | | | वाउचर का दिनांक | | | | | |

8- मतदेय/भारित — मतदेय

9- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 ब्योरेवार शीर्षक — 5 0 5 4 | 0 4 | 3 3 7 | 0 3 | 0 4 | 5 4

10- आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम — अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी भटवाडी

11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड — 4 2 2 9

12- अधिष्ठान का नाम — अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी भटवाडी

13- अनुदान संख्या — 0 2 2 14- सोर्स कोड 0 15- सेक्टर कोड

कनेक्टिंग अनुदान संख्या

16- आहरण से जुड़े लेखाशीर्षक (कनेक्टिंग सर्विस हेतु) (केवल भविष्य निधि अग्रिम एवं ऋण तथा अन्य अग्रिमों से सम्बन्धित भुगतान हेतु भरा जाये)

17- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)Project : PR4102422903261002 In view of the visit programme of Honble Chief Minister of Government of India to Harshil Mukhwa on 05 march 2025 compensation payment for the acquired land fruit trees for the construction of parking in Mukhwa Contract :

बजट की वर्तमान स्थिति				भुगतान का विवरण	
मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट	मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
				54-भूमि क्रय	264016
54-भूमि क्रय	3262499	3002141	260358	66 सकल धनराशि (आश्रित समायोजन के बाद)	264016

	कटौतियों का कोड सहित विवरण	
ONLY FOR OFFICIAL USE	77 सम्पूर्ण कटौतियां	
	99 शुद्ध देय धनराशि (66-77)	264016

क्रम संख्या	व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि (रु0)	अभ्युक्ति
1	35 /23-MAR-2026/Basanti Devi	264016	
66- सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)		264016	
77- सम्पूर्ण कटौतियां			
99 शुद्ध देय धनराशि (66-77)		264016	

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों तथा आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमवार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

OATH COMMISSIONER DEHRADUN

Print Date : 24-Mar-2026

Annexure No- 5

आहरण वितरण अधिकारी का हस्ताक्षर

नियंत्रक /प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल काउन्टरसाइन्ड कंटीजैंसी के प्रकरण में ही लागू होगा)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

कोषागार / उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

धनराशि रु0 Rupees Two Lacs Sixty Four Thousand Sixteen Only भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

संक्रमण द्वारा रु० -

सकल धनराशि रु० 2,64,016

कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

S.NO.	Beneficiary	Account Type	IFS Code	Account No.	Gross Amt	Total Ded.	Advance	Net Amount
1	899933325022 Basanti Devi	Saving	SBIN0001172	35633384181	264016	0	0	264016
					264016	0	0	264016

*Remarks / Rejection Details

S.NO	Remarks / Rejection	Remarks By	Date
1	As per government order sanction order is incorrect //	REJECTED BY TREASURY OFFICER	24-MAR-2026

IFMS Uttarakhand

OATH COMMISSIONER * DEHRADUN *

Print Date : 24-Mar-2026

Annexure No-5

Head of Account: प्रतिकर भुगतान

Passed for Rs 264016.00

FORM 28 HAND RECEIPT

(See Chapter X, Paragraphs 284, 290 and 304)

Cash Book Voucher No: ______ Date ______

(1) Pay by Cheque/Cash( ) ______ to Shri बसन्ती देवी

(2) Paid by me

RECEIVED from the अधिशासी अभियन्ता

Incharge of प्रा०ख० लो०नि०वि० भटवाड़ी

Sub-Division सहायक अभियन्ता Division the sum of Rs.(264016=00)

Name of work/purpose for which payment is made मा० प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के दिनांक 05-03-2015 को हर्षिल-मुखवा में प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत मुखवा में पार्किंग निर्माण कार्य हेतु अधिग्रहित भूमि/फलदार वृक्षों का प्रतिकर भुगतान। PAY for Rs- 264016=

Witness

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी (उत्तरकाशी)

Amount in Voucher

Signature of Payee बसन्ती

Prakash

OATH COMMISSIONER DEHRADUN

23/3/26

Outlook

Re: Service of Interlocutory Application Affidavit in O.A. No. 80/2025 – Basanti Devi & Ors. vs. Executive Engineer, PWD Bhatwari & Ors.

From dhruv tamta <tamtaadvocates@outlook.com>
Date Sat 2026-03-28 15:38
To Abhinav Raman semwal <semwalabhinavraman2985@gmail.com>

2 attachments (8 MB)
REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENTS.pdf; index.pdf;

Sir/ Madam

Please find attached copy of the Reply Affidavit on behalf of Respondent (PWD).

regards
Dhruv Tamta
Advocate
+91-9899989917

Disclaimer: The content of this electronic communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and any others who are specifically authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or otherwise placing reliance on the contents of this information is prohibited and may be unlawful in certain legal jurisdictions. If you have received this communication by error please notify the sender immediately and then delete it from your system.

Security Warning: Although this e-mail and its attachments are believed to be free from any virus, it is the responsibility of the recipient to ensure that they are virus free.

Please consider the environment before printing this e-mail.

From: Abhinav Raman semwal <semwalabhinavraman2985@gmail.com>
Sent: 03 December 2025 10:37
To: tamtaadvocates@outlook.com <tamtaadvocates@outlook.com>
Subject: Service of Interlocutory Application Affidavit in O.A. No. 80/2025 – Basanti Devi & Ors. vs. Executive Engineer, PWD Bhatwari & Ors.

Service of **Interlocutory Application Affidavit in O.A. No. 80/2025**
– *Basanti Devi & Ors. vs. Executive Engineer, PWD Bhatwari & Ors.*

Respected Sir,

Please find attached herewith the following documents on behalf of the Applicants in the above-mentioned matter pending before **the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi.**

These have been duly filed before the Hon'ble Tribunal.

This may kindly be treated as due service of the above documents upon you.

Kindly acknowledge receipt.

Regards,
Basanti Devi
PARTY-IN-PERSON
E-mail: semwalabhinavraman2985@gmail.com

Attachments:
Interlocutory Application in OA 80 of 2025